RBE No.152/2019
Advance Correction Slip No.82

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. E(W)2016/PS5-8/2 **New Delhi, dated 25 .09.2019**

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Productions Units.

Sub: Reckoning of half of past service rendered in Central/State Government establishments for Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) facility.

Ref: Advance Correction Slip (ACS) No.56 to Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition-1993) (RSPR-1986) issued vide Board's letter No. E(W)2006 PS5-1/28 dated 08.05.2008.

In the PNM/NFIR Meeting with Board, the Federation has brought to notice that the condition incorporated in RSPR-1986 vide above referred ACS, has restricted the weightage of half of past non-railway service for determining 20 years of qualifying service for PRCP facility only to the lateral entrants who had got their past service counted alongwith the railway service for pensionary benefits and it has resulted in disadvantage to the ex-servicemen who did not opt for such counting of their previous service while joining the railways.

2. After detailed examination, it has been decided to remove the said condition so as to extend the benefit of weightage equivalent to half of past non-railway service uniformly to all ex-servicemen and other such affected lateral entrants to cover the shortfall in the minimum requisite railway service of 20 years for PRCP facility. Accordingly, the Competent Authority has accorded his approval for amending Item No.(xi) under Col.3 of Schedule-IV (Post Retirement Complimentary Pass) of RSPR-1986 as follows:-

> "(xi) In case of lateral entrants to railway service, including ex-servicemen, half of previous non-railway service rendered in the establishments of Central/State Government will be added to the actual railway service for determining their eligibility to Post Retirement Complimentary Passes".

3. In the case of retired lateral entrants, who have now become eligible for PRCP facility under the above provision, the Pass Issuing Authority (PIA) from where such employees retired will process the requests and extend the facility as per rules on the basis of past service records/documents. Similarly, in the case of deceased lateral entrants, Widow Pass facility, as admissible under the rules, may be extended by the PIA from where the deceased employee retired. Such beneficiaries may also be permitted to get their pass accounts transferred to the PIA of their choice.

...2/-

4. The PRCP/Widow Pass under the above provision will be issued to the eligible lateral entrant/spouse only from the current calendar year.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

V. Murali

(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt. (Welfare)-I
Railway Board

No. E(W)2016/PS5-8/2 **New Delhi, dated 25.09.2019**

Copy to:-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Promottee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

Copy forwarded to:-

(i) Director(GA), Railway Board.
(ii) Computer Cell/C&IS, Railway Board for uploading on MoR's website for information of all concerned.
(iii) As per standard list.

आरबीई सं. 152/2019
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 82

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं.ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-8/2 **नई दिल्ली, दिनांक 25.09.2019**

महाप्रबंधक (का.)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषयः सेवोत्तर मानार्थ पास सुविधा के लिए अर्हक सेवा में केंद्र/राज्य सरकार की संस्थापनाओं में की गई पिछली सेवा की आधी सेवा की गणना करना।

संदर्भः बोर्ड के दिनांक 08.05.2008 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2006 पीएस5-1/28 के तहत जारी की गई रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.56.

बोर्ड के साथ पीएनएम/एनएफआईआर की बैठक में, फेडरेशन ने ध्यान आकृष्ट किया है कि रेल सेवक पास नियम-1986 की उपरोक्त संदर्भित अग्रिम शुद्धि पर्ची में नियत शर्त के अनुसार सेवोत्तर मानार्थ पास सुविधा के लिए 20 वर्ष की अर्हक सेवा के निर्धारण हेतु पूर्व में की गई गैर रेल सेवा के आधे का वेटेज केवल उन पार्श्विक प्रवेशकों (Lateral Entrants) के लिए था जिन्होंने पेंशन लाभ के लिए अपनी पिछली सेवा की गणना रेल सेवा के साथ करवाई थी। इसके फलस्वरूप उक्त वेटेज का लाभ उन पूर्व-सैनिकों को नहीं मिल सका जिन्होंने रेलवे में कार्यभार ग्रहण करते समय रेल सेवा के साथ अपनी पिछली सेवा की गणना का विकल्प नहीं चुना था।

2. विस्तृत जांच के बाद, सेवोत्तर मानार्थ पास सुविधा के लिए 20 वर्षों की न्यूनतम अपेक्षित रेल सेवा में कमी को पूरा करने के लिए गैर रेल सेवा की आधी सेवा के वेटेज का लाभ सभी पूर्व-सैनिकों और इससे प्रभावित अन्य पार्श्विक प्रवेशकों को एक समान देने के उद्देश्य से उक्त शर्त को हटाने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, रेल सेवक पास नियम-1986 की अनुसूची-IV (सेवोत्तर मानार्थ पास) के कॉलम 3 के अंतर्गत मद सं. (xi) को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

> "(xi) सेवोत्तर मानार्थ पास के लिए अर्हता निर्धारण हेतु रेल सेवा में आने वाले पार्श्विक प्रवेशकों (Lateral Entrants), जिसमें पूर्व-सैनिक शामिल हैं, द्वारा केंद्र/राज्य सरकार की संस्थापनाओं में की गई पूर्व गैर रेल सेवा की आधी सेवा को वास्तविक रेल सेवा के साथ जोड़ा जाएगा"।

3. उक्त प्रावधान के तहत जो सेवानिवृत्त पार्श्विक प्रवेशक अब सेवोत्तर मानार्थ पास सुविधा के लिए पात्र हो गए हैं उनके अनुरोध पर पास जारीकर्ता प्राधिकारी जहाँ से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, नियमानुसार एवं पूर्व सेवा के रिकॉर्डों/कागजातों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार, मृतक पार्श्विक प्रवेशकों के मामले में नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय विधवा पास सुविधा, वहां के पास जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है जहाँ से ऐसे मृतक पार्श्विक प्रवेशक सेवानिवृत्त हुए थे। ऐसे लाभार्थियों को अपने पास खाते को अपनी इच्छानुसार पास जारीकर्ता प्राधिकारी के पास स्थानांतरित करवाने की अनुमति भी दी जा सकती है।

...2/-

4. उक्त प्रावधान के अंतर्गत पात्र पार्श्विक प्रवेशक/पति-पत्नी को सेवोत्तर मानार्थ पास/विधवा पास केवल चालू कैलेंडर वर्ष से जारी किए जाएंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्था. (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-8/2 **नई दिल्ली, दिनांक 25.09.2019**

प्रतिलिपिः-
भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन.
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन.
12. महासचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा सं.-256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं.7, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन, कमरा सं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड